

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 184/25

तारीख दागर

24/10/25

मोडूलाल पिता भैरू जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. घीसीलाल पिता गोकुल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. नाथुलाल पिता गोकुल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 23/12/25

प्रार्थना पत्र मोडूलाल धाकड ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम केसुविलास प0ह0 जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 149 पर अंकित आराजी संख्या 307/13 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खूर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस ~~500~~ /- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।
प्यनाडुलाल

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम केसुविलास प0ह0 जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 149 पर अंकित आराजी संख्या 307/13 रकबा 5 बीघा भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

8.
उपखण्ड/अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या - 189/25

प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

तारीख दाख 24/10/25

संख्या :- 23/12/25

विषय :- प्रकरण संख्या 189/25 पत्थरगढी बाबत।

मोडूलाल पिता भैरू जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. घीसीलाल पिता गोकुल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. नाथुलाल पिता गोकुल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम केसुविलास प0ह0 जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 149 पर अंकित आराजी संख्या 307/13 रकबा 5 बीघा भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खूर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



3
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ